भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2316

13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी नियोजन संबंधी सुधारों का प्रभाव

2316. श्री विजय बघेलः

श्री दिनेशभाई मकवाणाः

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः

श्री अरुण गोविलः

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

श्री बिद्युत बरन महतोः

डॉ. विनोद कुमार बिंदः

डॉ. भोला सिंहः

डॉ. निशिकान्त दुबेः

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ सहित देशभर में भूमि के इष्टतम उपयोग और पारगमन-उन्मुख विकास पर पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएसएएससीआई) के अंतर्गत शहरी नियोजन संबंधी सुधारों के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) एसएसएएससीआई, 2024-25 के अंतर्गत परिनगरीय क्षेत्र नियोजन और शहरों के सृजनात्मक पुनर्विकास को समर्थन देने हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को शहरी नियोजन में जलवायु वहनीयता संबंधी उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या प्रोत्साहन प्रदान किए गए/किए जा रहे हैं; और

(घ) दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के दुर्ग और बेमेतरा जिलों सहित देश में शहरी अवसंरचना और गतिशीलता में सुधार लाने के लिए शहरी नियोजन में प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों को एकीकृत करने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की सहायता करती है।

शहरी नियोजन का विकास के प्रमुख साधन के रूप में लाभ उठाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएसएएससीआई)- भाग-III (शहरी नियोजन सुधार), 2023-24, कार्यान्वित की है। यह पहल कई महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है, जिसमें भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण (एमबीबीएल), नगर नियोजन (टीपीएस) और भूमि पूलिंग योजनाओं (एलपीएस) का कार्यान्वयन, शहरी घनत्व के लिए पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी) को अपनाना शामिल है।

इस योजना को वर्ष 2024-25 में भी जारी रखा गया है। एसएसएएससीआई 2024-25 – भाग – XIII (शहरी नियोजन सुधार) के अंतर्गत सुधार घटकों में नगर नियोजन योजनाएँ / भूमि पूलिंग योजना का कार्यान्वयन, भवन उपनियमों / ज़ोनिंग पहलों का युक्तिकरण, व्यापक पार्किंग प्रतिमान, शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास, पेरी अर्बन क्षेत्रों की योजना, पारगमन उन्मुख विकास, प्रौद्योगिकी आधारित सुधार, शहरी नियोजन के माध्यम से जलवायु स्थिरता, उत्तर पूर्वी/पहाड़ी राज्यों में पारगमन की आसानी के लिए व्यापक गतिशीलता योजना आदि शामिल हैं।

एसएसएएससीआई (शहरी नियोजन सुधार) के अंतर्गत, वर्ष 2022-23 में, 5 राज्यों ने टीओडी कॉरिडोर शुरू किए हैं। वर्ष 2023-24 में, 6 राज्यों में 25 टीओडी कॉरिडोर शुरू किए गए हैं और 14 राज्यों में 44 टीपीएस/भूमि पूलिंग योजनाएँ (एलपीएस) शुरू की गई हैं। एसएसएएससीआई (शहरी नियोजन सुधार) के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ राज्य ने टीओडी श्रेणी के अंतर्गत किसी प्रकार के प्रोत्साहन का दावा नहीं किया है।

(ख) से (घ): एसएसएएससीआई 2024-25 में शहरी नियोजन के तहत सुधार उपायों में से एक पेरी-अर्बन क्षेत्रों की योजना बनाना है। इस सुधार का उद्देश्य पेरी-अर्बन विकास केंद्रों को चिह्नित करके, पेरी-अर्बन क्षेत्रों को 'नियोजित क्षेत्र' के रूप में अधिसूचित करना, पारगमन संपर्क की योजना बनाना, ब्लू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के संरक्षण की योजना बनाकर पेरी-अर्बन क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है। प्रत्येक शहर (दस लाख से अधिक आबादी) के लिए इस सुधार के तहत विभिन्न घटकों के लिए कुल 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है।

शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास के तहत, शहरी नियोजन साधनों का प्रयोग करके मुख्य क्षेत्रों, बाजार क्षेत्रों, जीर्ण गोदामों, कम उपयोग की गई/गैर-मुख्य संपत्तियों आदि के पुनर्विकास के लिए शहरों द्वारा इस सुधार को अपनाए जाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उचित मास्टर प्लानिंग, रेट्रोफिटिंग और सामाजिक और भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के संवर्धन के माध्यम से सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि को आरक्षित करने की परिकल्पना की गई है। बड़े राज्यों के लिए दस लाख से अधिक आबादी और उत्तर पूर्वी/पहाड़ी राज्यों के लिए राजधानी शहर/एक बड़े शहर हेतु प्रत्येक परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए का सुधार प्रोत्साहन स्वीकार्य है।

जलवायु का समर्थन स्थिरता को सहायता प्रदान करने के लिए, इस योजना में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ग्रीन फुटप्रिंट्स में सुधार, ब्लू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर/शहरी वनों को समग्र योजना ढांचे के साथ एकीकृत करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। शहरी वन परियोजनाओं (क्षेत्रफल 1 एकड़) वाले प्रत्येक राज्य के अधिकतम 5 शहरों के लिए इस घटक के तहत प्रत्येक शहर के लिए 5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों को असुरक्षित क्षेत्रों के मैपिंग/डिजिटलीकरण के माध्यम से रिस्क इन्फोर्म्ड मास्टर प्लान तैयार करना है। ऐसे क्षेत्रों का सीमित और नियंत्रित विकास किया जाना चाहिए या इसे और इनमे आबादी के और अधिक सघन होने की अनुमति नहीं दी जाने चाहिए। प्रत्येक शहर (अधिकतम 2 सबसे बड़े/पर्यटक शहर) के लिए इस सुधार के तहत विभिन्न घटकों के लिए कुल 50 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है।

एसएसएएससीआई 2024-25 के अंतर्गत शहरी नियोजन में प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों के तहत, मौजूदा जल नेटवर्क, वर्षा जल निकासी और सीवरेज नेटवर्क परतों की मैपिंग/डिजिटलीकरण करने के लिए प्रोत्साहन स्वीकार्य हैं। सभी नेटवर्क को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित डिजाइन और मानकों के अनुसार जीआईएस प्लेटफॉर्म पर बनाया जाना चाहिए। इस पहल के तहत विभिन्न घटकों के लिए प्रति शहर 3 करोड़ रुपए (प्रति यूटिलिटी 1 करोड़ रुपए) की कुल प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। इस पहल के अंतर्गत केवल अमृत शहर ही पात्र हैं। 'शहरी नियोजन में प्रौद्योगिकी आधारित सुधार' की श्रेणी के तहत , छत्तीसगढ़ राज्य ने 2024-25 के दौरान पांच शहरों यानी रायपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, कोरबा और रायगढ़ में जलापूर्ति नेटवर्क के डिजिटलीकरण का दावा किया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बेमेतरा जिलों के लिए किसी प्रकार के प्रोत्साहन हेतु दावा नहीं किया गया है।

*****